प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.टोंक(राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2022
प्र.ई.रि.सं. 45/22 दिनांक 15/02/22,

2.–(1) अधिनियम भ्र0नि0(संशोधन) अधि0 2018 धारायें .... 7...........
(2) अधिनियम............................... धारायें ....
(3) अधिनियम......................... धारायें.......................................
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....307.................समय.......2 PM.......
(ब) अपराध के घटने का दिन :– सोमवार, दिनांक 14.02.2022, समय 7.05 पी0एम0
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 14.02.2022, समय 9.00 ए0एम0

4.–सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब पश्चिम 80 किलोमीटर चौकी हाजा ए.सी.बी.,टोंक से
(ब) पता – रूपाहेली तह0 मालपुरा जिला टोंक ......बीट संख्या .....जरायमदेही सं........
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना ....जिला...............

6.– परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– **श्री गजानन्द गुर्जर पुत्र श्री कानाराम जाति गुंर्जर उम्र 46 साल निवासी रूपाहेली तहसील मालपुरा जिला टोंक**
(ब).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(स).–पासपोर्ट संख्या.........................जारी होने की तिथि....................जारी होने की जगह.
(द).–व्यवसाय :– किसान ।

7.– ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **श्री राजेश गोठवाल पुत्र श्री कल्याणमल जाति बैरवा उम्र 44 साल निवासी टोरड़ी तहसील मालपुरा जिला टोंक हाल पटवारी, पटवार हल्का सिन्धौलिया तहसील मालपुरा जिला टोंक**

8.– परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....

9.– चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– ट्रेप राशि रूपयें 30,000 / – रूपये

10.–चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 30,000 / –रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा / यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक

विषय :– रिश्वत लेते पकडवाने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं गजानन्द गुर्जर पुत्र श्री कानाराम जाति गुंर्जर उम्र 46 साल निवासी रूपाहेली तहसील मालपुरा जिला टोक का रहने वाला हुॅ। आज से करीब डेढ माह पूर्व मैंने व मेरे पार्टनर श्री गोवर्धन सिंह, श्री अब्दुल हमीद ने मिलकर ग्राम रूपाहेली में खसरा नम्बर 194 / 9 व खसरा 194 / 13 कुल रकबा 5 बीघा 13 बीस्वा खरीद की थी। जिसका नामान्तरण खुल चुका है।

जिसका बंटवारा भी प्रशासन गॉव के संग अभियान में हो चुका है और उक्त जमीन की तरमीम करवाने के लिए दिनांक 17.01.22 को तहसीलदार साहब मालपुरा से आदेश करवाकर पटवारी श्री राजेश गोठवाल (बैरवा) पटवार हल्का सिन्धोलिया तहसील मालपुरा जिला टोक को दे दिया है, लेकिन वो अभी तक भी तरमीम नहीं कर रहा है, तरमीम करने की एवज में खर्चे–पाणी के नाम से 1 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं मेरे जायज काम के बदले पटवारी जी को रिश्वत नही देना चाहता हुॅ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुॅ। मेरी राजेश गोठवाल (बैरवा) पटवारी जी से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन देन नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी

गजानन्द गुर्जर पुत्र श्री कानाराम जाति
गुंर्जर उम्र 46 साल निवासी रूपाहेली
तहसील मालपुरा जिला टोक मो. न.
6375527486

कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक
दिनांक 14.02.2022 समय 9.00 ए0एम0

इस समय परिवादी गजानन्द गुर्जर पुत्र श्री कानाराम जाति गुंर्जर उम्र 46 साल निवासी रूपाहेली तहसील मालपुरा जिला टोंक ने एसीबी चौकी टोंक पर उपस्थित होकर मन् आहद खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ''**आज से करीब डेढ माह पूर्व मैंने व मेरे पार्टनर श्री गोवर्धन सिंह, श्री अब्दुल हमीद ने मिलकर ग्राम रूपाहेली में खसरा नम्बर 194/9 व खसरा 194/13 कुल रकबा 5 बीघा 13 बीस्वा खरीद की थी। जिसका नामान्तरण खुल चुका है। जिसका बंटवारा भी प्रशासन गॉव के संग अभियान में हो चुका है और उक्त जमीन की तरमीम करवाने के लिए दिनांक 17.01.22 को तहसीलदार साहब मालपुरा से आदेश करवाकर पटवारी श्री राजेश गोठवाल (बैरवा) पटवार हल्का सिन्धोलिया तहसील मालपुरा जिला टोक को दे दिया है, लेकिन वो अभी तक भी तरमीम नहीं कर रहा है, तरमीम करने की एवज में खर्चे–पाणी के नाम से 1 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं मेरे जायज काम के बदले पटवारी जी को रिश्वत नही देना चाहता हुॅ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुॅ। मेरी राजेश गोठवाल (बैरवा) पटवारी जी से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन देन नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।**'' प्रार्थना पत्र परिवादी गजानन्द गुर्जर को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र ई–मित्र से लिखवाना तथा स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित होना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि ''मैनें व मेरे पार्टनर श्री गोवर्धन सिंह, श्री अब्दुल हमीद ने मिलकर ग्राम रूपाहेली में खसरा नम्बर 194/9 व खसरा 194/13 कुल रकबा 5 बीघा 13 बीस्वा को श्री महावीर व हनुमान पुत्रान श्री सुखदेव दरोगा निवासी रूपाहेली से खरीदकर दिनांक 15.12. 2021 को उक्त विक्रय पत्र को उपपंजीयक मालपुरा से पंजीयन करवा लिया है। पंजीयन होने के पश्चात् नियमानुसार उक्त जमीन का नामान्तकरण हम तीनों के नाम से खुल चुका है, एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत हम तीनों पार्टनरों के बीच हमारी उक्त जमीन का बंटवारा भी हो चुका है। बंटवारे के हिसाब से उक्त जमीन की तरमीम करवायी जानी है, जिसके लिए दिनांक 17. 01.2022 को हमने तहसीलदार साहब मालपुरा के समक्ष तरमीम के आदेश करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार साहब मालपुरा ने सम्बन्धित पटवारी श्री राजेश गोठवाल को तरमीम करने के आदेश कर दिये है, लेकिन काफी समय हो जाने के बाद भी पटवारी तरमीम करने नहीं आया, जिस पर मैं श्री राजेश गोठवाल पटवारी से मिला तो उसने बंटवारे को सही मानकर तरमीम करने की एवज में 1 लाख रूपये की मांग कर रहा है। मैं ऐसे भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हुं। मेरा इनसे कोई उधार का लेन–देन बकाया नहीं है एवं ना ही कोई आपसी रंजिश है। मैं